रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082024-256381 CG-DL-E-14082024-256381

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) PART II—Section 3—Sub-section (iii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] No. 172] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2024/श्रावण 23, 1946 NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024/SHRAVANA 23, 1946

#### भारत निर्वाचन आयोग

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2024

आ. अ. 183(अ).—यतः, तेलंगाना राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित डॉ. के. केशव राव का स्थान जिनकी पदाविध 09.04.2026 सिहत उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व उनके त्यागपत्र देने के कारण 05.07.2024 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) तेलंगाना राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 06 सितम्बर 2024 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(1)

# (आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख –

21 अगस्त 2024 (बुधवार);

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख

22 अगस्त 2024 (गुरूवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख

27 अगस्त 2024 (मंगलवार);

5172 GI/2024

- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा 03 सितम्बर 2024 (मंगलवार); और
- (इ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा 06 सितम्बर 2024 (शुक्रवार); नियत करता है; और
  - (इ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

[फा. सं. 100/रा.स.-तेलंगाना/13/2024 (1)]

आदेश से.

सुमन कुमार दास, सचिव

# ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 14h August, 2024

**O. N. 183(E).**—WHEREAS, the seat of Dr. K. Keshava Rao, in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of Telangana, has become vacant on 05.07.2024 by the reason of his resignation, before the expiration of his term of office which was up to and including 09.04.2026; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby-

- (A) calls upon the elected members of the Legislative Assembly of Telangana to elect, before 06<sup>th</sup> September, 2024 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;
- **(B) appoints,** with respect to the said election;
  - (a) the 21<sup>st</sup> August, 2024 (Wednesday), as the last date for making nominations;
  - (b) the 22<sup>nd</sup> August, 2024 (Thursday), as the date for the scrutiny of the nominations;
  - (c) the 27<sup>th</sup> August, 2024 (Tuesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
  - (d) the 03<sup>rd</sup> September, 2024 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
  - (e) the 06<sup>th</sup> September, 2024 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[F. No. 100/CS-TL/13/2024 (1)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.